2/7/19 पत्रावली ... न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. ... मीटिंग / बाहर / अवकाश में। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 3/7/19 को पेश हो।
(हस्ताक्षर)

3.7.19 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य, वांछित अनुतोष, अप्रार्थीगण के जवाब एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का सम्यक अवलोकन किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर विचार किया तथा उनके द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत तर्कादि पर सम्यक विधिसंगत मनन किया गया।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के द्वारा ग्राम मायला के ख० नं० 521 रकबा 0.65 हे० को प्रार्थी के खसरा नम्बर 516 की पश्चिम दिशा में दर्शाया जाकर इसी अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस को दुरूस्त करने की रिलीफ चाही है।

साबिक एवं हाल नक्शा ट्रेस का भली भांति मिलान कर अवलोकन किया गया। साबिक राजस्व नक्शे में किसी भी प्रकार की तरमीम होना प्रकट नहीं हुई। अतः दोनों नक्शों का मिलान करने पर यह नहीं पाया जाता है, कि प्रार्थी हाल नक्शे

(हस्ताक्षर) उप/तह./अधिकारी

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में जहाँ शामिलात बनाया गया है, वह बन्दोबस्त से पूर्व किस नाम पर काबिज थी।	
	अब जमाबंदी सं. 2055-58 खाता नम्बर 102 पर मामला(नं०) नम्बर 4105, दो ग्राम मगरा की भूमि साबिक खसरा नं० 376/1 (कित्ता 2) भूमि आबादी की योजना कॉलोनी हेतु दी गई है। साबिक खसरा नं० 376 (कित्ता 2) के हाल खसरा नम्बर 418 कित्ता 0.30 हैक्टर बाद बन्दोबस्त पैमूद किया गया है। हाल जमाबंदी 2068-2071 खाता नं० 28 पर ख० नं० 418 कित्ता 0.32 है० हाल युक्त फ्लोन इकाई प्रो० अवतारसिंह के नाम पर दर्ज है।	
	सम्मानपाल पुत्र रीवा के साबिक खसरा नं० 376/3 मि० कित्ता 1 भूमि दर्ज थी जिसके हाल खसरा नम्बर 429 कित्ता 0.54 है० दर्ज किये गये ख० नं० हाल 422/1, 426, 428 कित्ता 3 रकबा 0.80 है० भूमि उद्योग हेतु रिजर्व दर्ज है।	
	श्रीमान जिला कलक्टर महोदय कोटा के आदेश क्रमांक/एफ.4/560/राजस्व/81/10762-67 दि. 11.8.81 के द्वारा ग्राम मगरा की भूमि खसरा नम्बर 377/1 कित्ता 3 बीघा श्री हरेन्द्र सिंह पुत्र मानसिंह को L.R. Act 1956 की धारा 92 के तहत लीज आवंटित की गई थी।	
	तहसीलदार रा० मण्डी का निर्णय U/s 183 बी दि० 30.6.09 में यह पाया गया है, कि प्रकरण वर्णित भूमि के संबंध में बन्दोबस्त से पूर्व भी नामिक नहीं होना अंकित किया गया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय की प्रति कार्यवाही में सा.का. है। प्रकरण में मौका रिपोर्ट अनुसार पन्नालाल जिसके नाम पर हाल खसरा नम्बर 521/0.65 दर्ज है, वह मौके पर खसरा नम्बर 517 के पश्चिम में 516 पर काबिज थी पन्नालाल की मृत्यु होना तथा उसके कायम मुकाम रिकार्ड पर लिये गये है। प्रकरण में मौका रिपोर्ट दिनांक 22.5.18 के परीक्षण में प्रकरण पर विचार किया। प्रकरण में गोपाललाल, मंसूर अहमद, महावीर, संपतबाई, कैलाशबाई, सगाबाई आदि ऐसे पक्षकारान् हैं, जिन्हें विधिवत् पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना था, किन्तु उक्त व्यक्तियों को प्रकरण में कोई पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा राजस्व नक्शे में दुरुस्ती का अनुतोष चाहा गया है। परन्तु प्रार्थी द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया है, कि वह बन्दोबस्त से पूर्व जिस स्थान पर काबिज था तथा आज भी वहीं काबिज है, महज महकमा बन्दोबस्त द्वारा नक्शा अक्स गलत तैयार किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 521 को ख.नं. 516 के स्थान पर दर्शाने का भी अनुतोष चाहा है, जो भू-अभिलेख उपखण्ड अधिकारी रामगंजमंडी	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बन्दोबस्त नियमावली के अनुसार इन्द्राज नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा करने से नक्शा खसरा में लिपि व इन्द्राज कार्य सिलसिलेवार नम्बर आँकड़ों का क्रम भंग होगा। प्रकरण के शुनावजुवा पर सम्यक विचार किया गया। प्रार्थी द्वारा वांछित अनुतोष प्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत प्रावधानों के तहत दिया जाना उचित नहीं पाया जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र L.R. Act 1956 की धारा 136 के तहत गवर्न नहीं होता है, अर्थात पोषणीय नहीं है। प्रार्थी के हितों के विपरीत बन्दोबस्त विभाग द्वारा ऐसी त्रुटि कारित किया जाना प्रमाणित नहीं है, जिसे इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से दुरुस्त किया जा सके। अतः प्रा० पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। वांछित अनुतोष हेतु प्रार्थी सक्षम स० घोषणा व दुरुस्ती का वाद पेश करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा० दा० हो। निर्णय आज दिनांक 3.7.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 03.07.19 उपखण्ड अधिकारी (चिमनलाल मीणा) R.A.S.	

Scanned by CamScanner